ond Amendment, Rules, 1993, under sub-section (2) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, together with a statement giving reasons for delay in placing the amendment before Parliament.

(b) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Health and Family Welfare Notification G.S.R. No. 777(E), dated the 27th December, 1993, publishing the corrigendum to the Notification G.S.R. No. 695(E), dated the 9th November, 1993 in Hindi version only together with delay statement.

[Placed in Library. *See* No. LT-6527/94]

हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु कार्यक्रम और इसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मूल्यांकन प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम लाल राही) : महोदया, मैं 1992-93 के वर्ष के लिए हिन्दी के प्रसार और विकास तथा संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ाने हेतु कार्यक्रम और इसके कार्यान्वयन के संबंध में चौबीसवें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library. *See* No. LT-6646/94]

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1994-95

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): Madam I lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (Railways) for the year 1994-95.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1994-95 (DECEMBER, 1994)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): Madam I lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General) for the year 1994-95 (December, 1994).

REPORT OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

श्री एस० एस० अहलुवालिया (बिहार) : महोदया, मैं प्रशिक्षक विमान के विकास और उत्पादन के संबंध में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा के 25वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के संबंध में लोक लेखा समिति के 78वें प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं।

STATEMENT OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

श्री एस० एस० अहलुवालिया (बिहार) : महोदया, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय I में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय V के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाले विवरणों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क—'खुले पुर्जों पर' संबंधी 163वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क—विद्युत मोटर और सूती कपड़ा संबंधी 164वां प्रतिवेदन (7वीं लोक सभा)

(3) सीमा शुल्क प्राप्तियां—टैरिफ मूल्यों के संशोधन में विलम्ब और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत जारी किए गए छूट आदेश संबंधी 195वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)

(4) सीमा शुल्क प्राप्तियां—अंतिम उपयोग की शर्त की अनदेखी करके अनुमत की गई शुल्क की छूट संबंधी 23वां प्रतिवेदन (7वीं लोक सभा)

(5) सीमा शुल्क प्राप्तियां—यात्रि के सामान पर शुल्क संबंधी सातवां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)